केवल उन्हीं को माइन्स दी जाती हैं या उसके बाहर भी किसी को माइंस दी जाती हैं, क्या इस प्रकार का कोई प्रावधान है?

श्री रमेश बैस: सभापति जी, किसी भी खान की स्वीकृति के लिए नियम बने हुए हैं, समय-समय पर आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन भी किए गए हैं। किसी भी राज्य सरकार के द्वारा जो केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव आता है, जब तक उसमें माइनिंग प्लान नहीं होता जिसे कि आई०सी०एम०, जो कि एक सरकारी संस्था है, बनाती है और स्वीकृति करती है, हम उस पर कोई विचार नहीं करते। आई०सी०एम० की स्वीकृति के बाद भी जो माइनिंग के लिए आवेदन आते है, उन पर विचार किया जाता है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उदारीकरण नीति को अपनाते हुए हमने निजी क्षेत्र के लिए कुछ चीजें खोल दी हैं और उड़ीसा सरकार के द्वारा जितने प्रस्ताव आए है, उनमें 173 खानों को हमने निजी क्षेत्र में अनुमति दी हैं।

Modernisation of police by Andhra Pradesh

*129 DR. ALLADI P. RAJKUMAR:
SHRI RUMANDLA RAAMACHANDRAYYA: ††
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the requests made by the Andhra Pradesh Government for sanctioning of equipment for police modernisation;

(b) since when the request has been pending; and

(c) by when a final decision is likely to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHR I.D. SWAMI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The annual Central allocation for Anhdra Pradesh under the Scheme for Modernisation of State Police Forces (MPF Scheme) was fixed at Rs. 82 crore, with annual plan size being Rs. 164.00 crores from 2000-01. The balance 50% was to be provided by the State Government. The information pertaining to approved plans, Central assistance released and utilization reported by the State Government of Andhra Pradesh pertaining to 2000-01 to 2002-03 is as under :

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rumandla Raama Chandrayya

(Rs. in crore)

Year	Plan approved	Central assistance released	Utilization reported
2000-01	144.04	72.02	143.82
2001-02	154.40	77.20	154.39
2002-03	162.68	81.32	37.46

The MPF Scheme has been revised recently and the State Government of Andhra Pradesh will be given 75% Central assistance amounting to Rs. 123.00 crore as grant in-aid-annually from 2003-04, instead of Rs. 82 crore as earlier.

The State Government of Andhra Pradesh had sent their annual plan for 2003-2004 in August, 2003 for various components including equipment for Police Modernisation for Rs. 163.84 crore. The plan was considered and was approved by the Empowered Committee on 30th September, 2003 for Rs. 153.18 crore. Supplementary plan for the balance amount is awaited from the Andhra Pradesh Government.

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या: सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश में जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं, उनको अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाने के लिए और उनके हथियारों के आधुनिकीकरण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से जो रकम मांगी है, आप कब तक इसकी मंजूरी देंगे और कितनी रकम की मंजूरी देंगे, यह बताएं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: सभापति महोदय, हमने पिछले वर्षों में कितना पैसा दिया है, वर्ष 2002-2003 तक की जानकारी हमने अपने उत्तर में जो स्टेटमेंट रखा है, उसमें दे दी है। जहां तक वर्ष 2003-2004 का सवाल है, 164 करोड़ रुपए का प्रपोजल इनका आया था, जिसमें से 153 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं और वह पैसा रिलीज़ किया जा रहा है। जो 11 करोड़ रुपया बाकी बचा है, वह चूंकि रूल्स के मुताबिक इसमें कवर नहीं होता था, जिसके हिसाब से माडर्नाइजेशन के लिए पैसा दिया जाता है, इसलिए हमने उनको कहा है कि वे अलग से 11 करोड़ रुपए की मांग भेजें, तब हम उस प्रापोज़ल को देख लेंगे। अभी 153 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं।

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या: सभापति महोदय, ये जो भी रकम दे रहे हैं, वह जनरल है। आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी बहुत आतंकवाद मचा रहे हैं। उन ऐरियाज़ में पुलिस वालों के काम करने के लिए, उनका मनोबल बनाए रखने के लिए स्पेशल पैकेज आंध्र प्रदेश को देना चाहिए। आपको

मालूम होना चाहिए और आपके माध्यम से भारत सरकार को भी यह मालूम होना चाहिए कि नक्सलवादियों ने हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर भी अपना जाल फेंका लेकिन उन्हें भगवान ने बचा लिया। आंध्र प्रदेश को भारत सरकार से कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिल रहा है और वहां पुलिस के पास आधुनिक हथियार नहीं हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह निवेदन करता हूं कि भारत के जिन-जिन राज्यों में नक्सलवादी फैले हुए हैं, उनको स्पेशल पैकेज दिया जाए और उनमें प्रथम श्रेणी में आंध्र प्रदेश को रखा जाए।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: सभापति महोदय, वैसे इसका ताल्लुक इस प्रश्न से नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन की तरफ से 55 डिस्ट्रिक्ट्स जो आतंकवाद से अफेक्टेड हैं, उनके लिए अलग से स्कीम है-15 crore rupees for three years, per district-इतना पैसा आंध्र प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट्स को दिया जा रहा है। वे डिस्ट्रिक्ट्स जो इसमें कवर्ड हैं, उनके लिए प्लानिंग कमीशन की ओर से अलग से यह पैसा 3 साल के लिए 15 करोड़ रुपए के हिसाब से दिया जा रहा है।

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या: सभापति महोदय, 15 करोड़ रुपए पहले का है। अब वहां बहुत रकम की आवश्यकता है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री सभापति: आप आंध्र प्रदेश में जाकर यह कह सकते हैं कि मेरे कहने से 15 करोड़ रुपया दिया गया है।

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या: नहीं, मेरे कहने से नहीं, यह भारत सरकार के नियम से दिया जा रहा है। मेरे कहने से उसको 30 करोड़ रुपए बनाओ, तब कुछ बात बनेगी और आपकी बात भी निभ जाएगी। आप इस पर भारत सरकार को आदेश दीजिए।

श्री सभापति: दो डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 30 करोड़ रुपए होंगे ना?

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या: नहीं-नहीं। आप बातों से चमत्कार मत करिए, कुछ करके बताइए।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, my supplementary is, as my colleague just said, there was an attack to physically liquidate the Chief Minister of Andhra Pradesh because of the stringent action that is being initiated by the Government of Andhra Pradesh to contain naxalism. Sir, the need of the hour in the State is we need more security forces. The State Government of Andhra Pradesh have written to the hon. Home Minister that immediately we should be replenished with some additional security forces to keep good law and other situation in the State, because

a highly precarious situation is prevailing in the State. I would like to know from the hon. Home Minister what the time-bound programme is, so that additional security forces could be deployed in the State to contain this menace.

उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): सभापति जी, यह सवाल मूलत: पुलिस के माडर्नाइजेशन के संदर्भ में है और मैं सदन से कहना चाहूंगा कि 1970 में गृह मंत्रालय की ओर से पुलिस के माडर्नाइजेशन की स्कीम आरंभ की गई। हमारे संविधान की मूल कल्पना यह थी कि कानून और व्यवस्था की जितनी जवाबदारी है, सब दृष्टियों से, वित्तीय दृष्टि से भी राज्य निभाएंगे और केन्द्र इसमें नहीं आएगा। लेकिन धीरे-धीरे यह बात केन्द्र के ध्यान में आई कि यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि राज्यों के पास इतने संसाधन नहीं हैं। इसीलिए पुलिस को अपनी लॉ ऐंड आर्डर की नॉर्मल जवाबदारी निभाने के लिए भी सहायता चाहिए। तो 70 में यह आरम्भ हुआ तब भी इमरजेंसी और ये सारी समस्याएं जिस प्रकार से बाद में आईं ये तब नहीं थीं और इसीलिए मैं जानता हूं कि 70 से लेकर के सन् 1999 तक लगभग 30 साल तक वहां पर कुल मिला करके केन्द्रीय सरकार की और से 5376 करोड़ रुपए कुल दिए गए। लेकिन जब 1999 के बाद यह समझ में आया कि इससे काम नहीं चलेगा तब इसको बढ़ाते गए यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सन् 2000 में यहां पर एक चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस हुई थी तब यह घोषण की कि हम जितनी सहायता देते हैं वह पुलिस के लिए अपर्यात है और निर्णय किया कि आज भी 30 साल में 536 करोड़ दिए होंगे वहां हम इसके बाद प्रति वर्ष एक हजार करोड़ देंगे modernisation of Police. मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ग्रेज्युअली हम इस मामले को बढ़ाते गए और सहायता करते गए हैं और Naxalite-affected States के लिए अलग तौर पर एक Coordination Committee बना करके और उसकी प्रति तीन मास मीटिंग करके और प्लानिंग कमीशन को भी इस बात के लिए परसुएड किया कि वहां जो डिस्ट्रिक्ट्स हों affected by Naxalite-menace वहां पर यह सहायता की जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि आंध्र प्रदेश उनमें से प्रभावित है और आंध्र प्रदेश ही नहीं लेकिन आंध्र प्रदेश से लेकर के और उत्तर भारत मे नेपाल तक का सारा बेल्ट जो है उस बेल्ट को वे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं खास करके नेपाल में जो एक अस्थिर स्थिति पैदा हुई है उसका लाभ उठा करके। हमारी तरफ से हम दोनों पहलू एक modernisation of Police और दूसरा नक्सलाइट संकट दोनों के बारे में सक्रिय हैं और उसमें आर्थिक दृष्टि से, और दृष्टि से जो भी सहायता हो पाती है जरूर करते हैं। और करते रहेंगे। आखिर तो एक मुख्य मंत्री पर इस प्रकार का खतरनाक हमला हो और उसमें उनकी जान पर संकट आ जाए यह सबके लिए चिंता की बात है।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH : Sir, I would also like to know with regard to the Security Forces.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सिक्योरिटी फोर्सेज की जितनी-जितनी अपने पास अवेलेबिलिटी होती है जितनी आवश्यकता होती है उस अनुसार करते हैं। लेकिन इसमें मैं स्वीकार करूंगा कि आज देश में जितनी आवश्यकता पड़ती है प्रदेशों में, या फिर चुनाव होते हैं चुनावों के लिए, उन सब बातों को ध्यान में रख करके हमारे पास अपर्याप्त है। लेकिन जितनी भी अपने पास होती है उसका आप्टिमम डिप्लौयमेंट करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं।

श्री प्रेम गुप्ता : मान्यवर, सवाल तो पुलिस के मॉडर्नाइजेशन का है लेकिन क्योंकि आदरणीय उप प्रधानमंत्री जी भी यहां हैं तो यह इश्यू डिस्कस हुआ है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर के ऊपर में जिन नक्सलियों ने हमला किया और उनकी जान को खतरा पहुंचाया उसी नक्सली आउटफिट ने बिहार के मुख्य मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को थ्रेट किया है। इस संदर्भ में एक लेटर 20-25 एम०पीज० ने हम लोगों ने दस्तखत करके माननीय उप प्रधानमंत्री जी को भिजवाया है। इनसे दरख्वास्त करूंगा और जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि क्या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है और बिहार चीफ मिनिस्टर की और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सिक्योरिटी कवर जैसा रिक्वेस्ट की गई है वैसी आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उसका भी एक्जामिनेशन किया जा रहा है और जो भी आवश्यकता होगी वह पूरी की जाएगी।

Guidelines by Power Grid Corporation

*130. SHRIMATI BIMBA RAIKAR : Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the power Grid Corporation of India has drawn up guidelines for the States overdrawing their requirements of power when the system frequency is less than 49 htz.;

(b) whether there is any provision to penalize erring States causing grid collapse; and

(c) whether the guidelines will prove a deterrent against overdrawal and ensure grid discipline?

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Central Elecrticity Regulatory Commission (CERC) has apprpved the Indian Electricity Grid Code (IEGC) *vide* its order dated 30th October, 1999 According, IEGC was issued by Central Transmission Utility *i.e.*